उच्च न्यायालय हैदराबाद तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य।

रजिस्ट्रार जनरल एवं वगैरह के माध्यम से

बनाम्

पी. मुरली मोहन रेड्डी और अन्य ईटीसी

(दिवानी अपील संख्या 73–74/2019)

25 जनवरी, 2019

न्यायालय द्वारा निर्णय पारित:–

**ए के सिकरी न्यायाधीश,** 1. इन अपीलों में निर्णय दिनांक 25 मार्च 2015 जो कि हैदराबाद उच्च न्यायालय के एक संयुक्त पीठ के द्वारा पारित की गयी है जिसके आधार पर दो याचिकाएं उतरवादीयों द्वारा दायर को स्वीकृत की गयी थी। जिसे चुनौती दी गयी थी। कुल चार व्यक्तियों के द्वारा इन दो याचिकाओं को दायर की गयी है जो पुर्व में आंध्र प्रदेश राज्य (जिसे आंध्र प्रदेश राज्य एवं तेलंगाना जिन्हें वर्तमान में कहा जाता है) और जिन्हें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर अस्थायी त्वरित न्यायालय के जिला जज के रूप में नियुक्ति की गयी थी।

2. इस तरह के विवाधक नियुक्ति के संदर्भ में जो अस्थायी न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में पुर्व में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बृजमोहन लाल बनाम भारत संघ वगैरह में विचारण किया गया था। जिसमें की इस न्यायालय द्वारा ऐसे जजों की नियमित तौर पर अवशोशण की अद्यतन प्रक्रिया एवं तौर तरीकों के संदर्भ में निर्धारण किया गया था। जो कि योग्यता की जांच एवं मौखिक परीक्षा दोनों शामिल किया गया था। इस तरह के निर्देशन के उपरंात जो वर्तमान अपीलकर्ता जिनका नाम उच्च न्यायालय हैं उनके
द्वारा योग्यता परीक्षा एवं मौखिक परीक्षा दोनों आयोजित की गयी थी। वे सभी चार व्यक्तियों (जिन्हें उतरवादी के तौर पर दर्शाया गया है) उन्हें नियमित सेवा में विचार करते हुए अयोग्य घोशित किया गया है। ये उतरवादीगण अपीलकर्ता द्वारा पारित निर्णय से असंतुश्ट होकर उस निर्णय को चुनौती दी है जिनसे आधारित ये दोनों याचिकाएं निम्नलिखित शर्तो के आलोक में स्वीकृत की गयी है।

“31. उपरोक्त विवेचनाओं के आलोक में यह न्यायालय निर्णित करती है कि चयन समिति जिनके द्वारा इनको नियमित सेवा में अवशोशित करने से अयोग्य ठहराया गया है जिनके द्वारा की निम्नतम योग्यता अंक मौखिक परीक्षा या कुल योग्यता अंक लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा के आधार पर जो निर्णय लिया गया है वह गैर कानुनी एवं भेद भाव पुर्ण है। अतएव, हम उतरवादीयों को निर्देशित करते है कि वे आवेदकों जिसने की हर एक ने लिखित परीक्षा उतीर्ण की है और जिनका मौखिक परीक्षा भी लिय गया है। ये नियुक्ति

एक माह के अंदर इस आदेश के प्राप्त होने के उपरंत अन्य विशय बस्तुओं का अनुपालन और औपचारिकताएं जो कि कानुन के अनुसार निर्धारित हों, के आलोक में की जाय।"

3. विवाद को सुलझाने के उदेश्य से कुछ निहित तथ्य जिनका निपटारा/ निर्णय होना आवश्यक है उसे निम्न रूप में लेते हुएः बृजमोहन लाल वाले निर्णय के उपरांत उपरोक्त वाद में जो दिशा निर्देश जारी किये गये थे जो कि त्वरित न्यायालयों के स्थापना एवं क्रियान्वयन के संदर्भित थे, आंध प्रदेश राज्य के द्वारा बहुतेरे त्वरित न्यायालयों का पुरे राज्य के अन्दर स्थापना किया गया है। इन त्वरित न्यायालयों के स्थापना के उपरांत, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा आदेश दिनांक 06 अक्टूबर 2023 जिससे कि बीस अधिवक्ताओं (उन्नीस अधिवक्तागण एवं एक अपरलोक अभियोजक) जिन्हें बार से लेकर अस्थायी आधार पर (आंध्र प्रदेश राज्य वरीय न्यायिक सेवा विशेश नियमावली जो कि अस्थायी नियुक्ति 2001 के संदर्भ में है) को त्वरित न्यायालयों के पीठासीन पदाधिकारी नियुक्त करते हुए जीओएम.एस 0 नं0 1798 दिनांक 06 अक्टूबर 2003 के आधार पर की गयी है। उनकी नियुक्ति की तिथि से इस वाद के उतरवादीयों एवं समान स्थिति वाले अन्य लोग (पुरे देश को मिलाकर) दावा कर रहे थे कि उन्हें भी स्थायी पद पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रवेश स्तर पर) की जाय। अंततः यह न्यायालय बृजमोहन लाल वाले मुकदमा में सभी राज्यों को निर्देश जारी किया था कि लिखित परीक्षा अस्थायी त्वरित न्यायालय जिला जजों हेतु आयोजित की जाय जो कि सीधे बार से लेकर नियुक्ति की जाय जो कि पीठासीन पदाधिकरी के रूप में या पहले से ही त्वरित न्यायालय के रूप में कार्यरत है उनकी नियुक्ति के संदर्भ में प्रक्रिया को अपनाते हुए इसे पुरा किया जाय ताकि इन अधिकारियों को चिन्हित कर अवशोशित/समायोजित किया जा सके। यह न्यायालय इसी निर्णय में नियुक्ति के तौर तरीकों जो कि अस्थायी त्वरित न्यायालय के जिला न्यायाधीश के संदर्भ में इन्हें अवशोशित या समायोजित करके राज्य न्यायिक सेवा के अंतर्गत लाया जाय से संबंधित है। निम्नलिखित शब्दों में सार के रूप में उन दिशा निर्देशों को संक्षेपित करते हुएः (ए) एक सौ पचास अंकों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी।

(बी) मौखिक परीक्षा सौ अंकों के लिए आयोजित की जायेगी।

(सी) योग्य घोशित होने के लिए लिखित परीक्षा में कुल अंक 40% सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए एवं 35% एस 0 सी0/ एस 0 टी0/ ओ 0 बी0 सी0 उम्मीदवारों के लिए निर्धारित होगी।

(डी) प्रत्येक नियुक्ताओं के द्वारा प्रतिवर्श जो सेवा त्वरित न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी के रूप में दी गयी है उसके लिए प्रत्येक वर्श के एवज में एक अंक दिया जायेगा जो कि उनके मौखिक परीक्षा हेतु निर्धारित अंक में जुड़ेगा।

4. उपरोक्त दिशा निर्देशों के आलोक में उच्च न्यायालय इस मामले को जो न्यायाधीशों की कमिटि जिला जजों की नियुक्ति हेतु गठित की गयी है उसके समक्ष जो बैठक 9 अगस्त 2012 को हुई थी जिसमें गठित कमिटि के द्वारा विचारोपरांत हल करके अधिसूचना आवेदकों की ओर से जो की कार्यरत है या निवर्तमान अस्थायी त्वरित न्यायालय के जिला जज स्तर के अधिकारी रहें हैं उन्हें नियमित सेवा में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सम्वर्ग ने किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है कि लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम के साथ जो कि पुर्व में लिखित परीक्षा के समय अपनायी गयी थी जिसमें कि जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए थी उसे गजट सूचना करके आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के वेवसाईट पर 13 अगस्त 2012 की तिथि से आवेदकों को बुलाकर जो कि कार्यरत/त्वरित न्यायालय के पूर्ववर्ती जिला जज रह चुके हैं उनके लिए अंतिम तिथि उनके आवेदनों को प्राप्त करने हेतु 31 अगस्त 2012 निर्धारित की जाय। यह यथोचित रूप से उदधृित करने योग्य है कि राज्य के अंदर न्यायिक पदाधिकारियों की नियुक्ति, आंध्र प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली, 2007 (जो कि नियमावली के तौर पर उदधृित है ) इसको स्थान दिया गया। सभी उन्नीस अस्थायी त्वरित न्यायालय के जिला न्यायाधीशों के द्वारा आवेदन जमा की गयी है। उच्च न्यायालय के द्वारा परीक्षा की विधि बनाई गयी है जिसमें एक पेपर वैकल्पिक प्रशनों के आधार पर जिसके साथ बहुत सारे विकल्प दिया गया है जो कुल पचास अंकों का है। (पचास प्रशनों के साथ जिसमें की प्रत्येक प्रशन 1 नं0 का होगा) और दुसरा पेपर बस्तुनिश्ठ या लेख्य आधारित कुल 100 अंकों का होगा। (पांच प्रशन प्रति प्रशन 20 नम्बर) (कुल निर्धारित समय दोनों पेपर के लिए तीन घंटा) एवं मौखिक परीक्षा एक सौ अंकों के लिए होगा। यह भी निर्धारित किया गया था कि लिखित परीक्षा में एक व्यक्ति को कम से कम योग्य करार देने हेतु 40% कुल सामान्य श्रेणीयों के अभ्यर्थीयों के लिए 35% बी0 सी0 अभ्यर्थीयों के लिए निर्धारित होगा। इसी प्रकार सेवा की अवधि पुरे किये जाने के वर्शो के साथ जो अभ्यर्थी अस्थायी रूप से त्वरित न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में काम किये हैं उन्हें उसी अनुरूप अंक दिया जायेगा।

5. लिखित परीक्षा 06 सितम्बर 2012 को आयोजित हुई थी। इसके पश्चात उतर पुस्तिकाओं की जांच हुई थी। मौखिक परीक्षाओं के लिए योग्य उम्मीदवारों के संदर्भ में, इस मामले को न्यायाधीशों की गठित समिति बैठक दिनांक 27 नवम्बर 2012 को हुई थी। कमिटि के द्वारा पाया गया कि कुल उन्नीस अभ्यर्थीयों में से केवल सतरह मौखिक परीक्षा हेतु योग्य घोशित किये गये थे और उन्हें मौखिक परीक्षा हेतु बुलाया जाना था। इस प्रकार बुलावा पत्र उन सभी सत्तरह अभ्यर्थीयों के लिए बुलाये जाने के लिए जिन्हें मौखिक परीक्षा में शामिल होना था भेजी गयी थी। दो अन्य उम्मीदवारों को जिन्हें मौखिक परीक्षा में बैठने की अनुमति मिली हुई थी जिन्होंने याचिका दायर करके उसमें अंतरिम आदेश प्राप्त किया हुआ था। उन्नीस उम्मीदवारों की मौखिक

परीक्षा लिये जाने के बाद, मेधा सूची तैयार की गयी थी, और जिसे कमिटि के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। कमिटि के द्वारा विचारणोंपरांत पाया गया था कि बारह अभ्यर्थी उसमें से स्थायी अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए योग्य हैं। उन्हें उसी समय से नियमित कर दिया गया।

6. उच्च न्यायालय के द्वारा अन्य सत्तरह अभ्यर्थीयों को जिसमें की इस केस के उतरवादीगण शामिल हैं पाया गया कि उनके द्वारा अपेक्षित प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं किया गया है। जहां तक चार उतरवादीयों का सम्बन्ध है, जिनके द्वारा याचिकाएं दायर की गयी है उनके द्वारा अर्जित अंक निम्न प्रकार हैः–

–

| क्रमांक | पंजियन संख्या | अभ्यर्थी का नाम | समुह/वर्ग | आवशयक रूप से प्रतिशत के अनुपात में अंक जो कि निश्चित तौर पर 250 अंक में से अर्जि की गयी है। | कुल दो सौ पचास अंकों में से प्राप्त किये गये अंक (लिखित परीक्षा $ मौखिक परीक्षा) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 108 | सुनिथा बुसरेड्डी | ओ 0 सी0 | 100 | 99.7 (67.5 + 32.2) |
| 2. | 111 | एस 0 सरद्धा देवी | ओ 0 सी0 | 100 | 99.3 (60.5 + 38.8) |
| 3. | 103 | जी0 भुनेश्वरी राजू | बी0 सी0–ए | 87.5 | 81 (53 + 28) |
| 4. | 104 | पी0 मुरली मोहन रेड्डी | ओ 0 सी0 | 100 | 89 (63+ 26) |

7. प्रशनगत निर्णय के आधार पर, इन याचिकाकर्ताओं कों उच्च न्यायालय के द्वारा स्वीकृति दी गयी।

8. इस मोड़ पर हमें उच्च न्यायालय द्वारा जिन तर्को के आधार पर इस वाद के उतरवादीयों को सहायता प्रदान की गयी है उस पर विचार करना है। उच्च न्यायालय के द्वारा इस बात को नोट किया गया है कि इन चारो उतरवादीयों के द्वारा लिखित मौखिक परीक्षाओं में कितने कितने अंक प्राप्त किये गये हैं। जिसके आधार पर उच्च न्यायालय ने स्वयं पाया है कि 40% अंक ही योग्य घोशित किये जाने के लिए जो कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी है उनके संदर्भ में कुल 100 अंक में से अनिवार्य है और यही आरक्षित अभ्यर्थीयों के संदर्भ में इसका प्रतिशत 87.5 होगा। जहां तक लिखित परीक्षा का प्रशन है, सभी चार अभ्यर्थीयों में न्यूनतम अंक जो अनिवार्य रूप से योग्य घोशित किये जाने हेतु आवश्यक है। उसे प्राप्त किया है। हालांकि इनमें से किसी ने निर्धारित अंक 40%/35% मौखिक परीक्षा में अर्जित नहीं किया है। आगे इन्होंनें सुनिश्चित 40%/35% अंक संयुक्त लिखित परीक्षा एवं मौखिक परीक्षा में अर्जित नहीं किया है। सुक्ष्मरूप से यही कारण था कि

उतरवादीयों को विचारणीय क्षेत्र जिसमें की इनका अवशोशण नहीं हो सका क्योंकि इन्होनें निर्धारित योग्यता हेतु अंक मौखिक परीक्षा एवं सकल उतीर्णता अंक हो 40%/35% है उसे भी प्राप्त नहीं किया है। अपीलकर्ता के इस पहल को प्रशनगत इस आधार पर किया गया है कि इस तरह का कोई पुर्व निर्धारित तरीका विज्ञापन में नहीं छपी थी जो कि बाद में एकतरफा तरीके से जोड़ दिया गया है। आगे यह पाया गया कि यह नियमों के विरूद्ध है जो कि नियम कहते है कि मौखिक परीक्षा में न्यूनतम योग्यता हेतु निर्धारित अंक ही प्राप्त करना आवश्यक है। अपीलकर्ता के द्वारा दुसरी तरफ अपने उक्त कार्य को सही ठहराने के लिए यह दलील दी गयी है कि उतरवादीयों को जो छांटा गया है वो निर्णय इस न्यायालय द्वारा पुर्व में पारित बृजमोहन लाल वाले मुकदमा पर ही आधारित है।

9. उच्च न्यायालय के द्वारा उतरवादीयों के दलील को स्वीकार किया गया था। इस पर विचार किया गया था कि प्रत्येक के द्वारा लिखित परीक्षा में जो न्यूनतम योग्य ठहराये जाने हेतु अंक निर्धारित हैं जैसा कि विज्ञापन में छपा भी था वह अंक उनलोगों के द्वारा अर्जीत किये गये हैं और जो नियमों के अनुसार भी हैं। जहां तक विज्ञापन का प्रशन है निम्नलिखित बातों को जोड़ा गया है जो निम्न प्रकार हैः

| | |
|---|---|
| मौखिक परीक्षा | 100 अंक |
| न्यूनतम उतीर्णता हेतु अर्जित अंक जिसे हासिल करना आवश्यक है। | लिखित परीक्षा में उतीर्णता हेतु 40% अंक सकल सामान्य वर्ग के अभ्यर्थीयों के लिए एवं 35% एस0सी0/एस0 टी0/बी0 सी0 अभ्यर्थीयों के लिए<br><br>ऐसे प्रत्येक अभ्यर्थी एक अंक प्रति वर्श के हिसाब से जो उनके द्वारा त्वरित न्यायालय के रूप में सेवा दी गयी है उसे उसी हिसाब से उनके मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंक में वर्श वार गिनती कर जोड़ी जायेगी। |

10. नियमावली की नियम 6 परीक्षा लिये जाने की विधि को प्रासंगिक करती है जिसका प्रासंगिक रूप से उक्त अंश निम्नप्रकार हैः

“6 परीक्षा लिये जाने की विधिः (1)उच्च न्यायालय समय समय पर रिक्तियों की संख्या को अधिसूचित करेगा जो कि जिला न्यायाधीश कोटि में जिनकी सीधी भर्ती इसे इंगित करते हुए पात्रता मापदंड,

विशय बस्तु, लिखित परीक्षा में प्राप्त किये जाने वाले अंक, योग्य ठहराये जाने हेतु न्युनतम निर्धारित अंक सीमा, मौखिक परीक्षा में दिये जाने वाले अंक और इसमें कम से कम निर्धारित अंक जिन्हें अभ्यर्थी को प्राप्त करना अनिवार्य है। ”

विशेश आकस्मिकता की परिस्थिति में उच्च न्यायालय के लिए यह यदि आवश्यक हो तो केवल स्क्रीनिंग परीक्षा ली जा सकती है जिसमें की वैकल्पिक प्रशन पुछे जायेगें। वैकल्पिक प्रशन मौखिक परीक्षा के पहले लिखित परीक्षा के रूप में ली जायेगी और तदोपरंात मौखिक परीक्षा अधिसूचित करने के उपरांत ली जायेगी।

(2) जबकि लिखित परीक्षा विशयबस्तु की जानकारी के संदर्भ में ली जायेगी और मौखिक परीक्षा उसके सम्वाद की क्षमता, उसके द्वारा अपनाया जाने वाला तरीका, साक्षीयों के परीक्षण के दौरान परिस्थितियों पर नियंत्रण रखने की दक्षता और वेलावजह लंबी चैड़ी वहस पर नियंत्रण रखना और इसी प्रकार अन्य बातें तथा उसका सामान्य ज्ञान।

(3)

(4) लिखित परीक्षा सामान्य रूप से कुल 80 अंक के अंदर सिमित होगी और मौखिक परीक्षा 20 अंक के लिए होगी।

जबकि अभ्यर्थी को योग्य घोशित करार दिये जाने हेतु जो कि ओ0सी0 श्रेणी से है उसे चालीस प्रतिशत अंक और बी0सी0 श्रेणी के लिए पैतीस प्रतिशत अंक और एस0सी0 एवं एस0टी0 श्रेणी के लिए तीस प्रतिशत अंक लिखित परीक्षा में अनिवार्य होगा। (संशोधित द्वारा जी0 ओ0 एमएस नं0 132 दिनांक 16 नवम्बर 2011)

(5)..

(6)..

(7)..

(8)..

(9)..

(10)..

11. उच्च न्यायालय उपरोक्त संदर्भो के आधार पर विज्ञप्ति में और उसी प्रकार नियमों में उदधृित किया है कि न्यूनतम उतीर्णता अंक मौखिक परीक्षा हेतु विज्ञापन के अनुसार या नियमों के अनुसार निर्धारित नहीं हैं जो कि अभ्यर्थी को हासिल करना आवश्यक है। जहां तक बृजमोहन लाल वाले केस का संदर्भ है, उच्च

न्यायालय के द्वारा ऐसा विचार किया गया है इसने मौखिक परीक्षा में उतीर्णता हेतु अंक निर्धारित नहीं किया गया है और यह भी स्पश्ट होता है कि परीक्षा एवं साक्षात्कार दोनों जो यथोचित नियम है जिसे राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया है जो कि वरीय न्यायिक सेवा सीधी भर्ती परीक्षा के संदर्भ में है उसके आधार पर ही आधारित होगा।

इसी आधार पर उच्च न्यायालय ने निश्कर्श निकाला:

" 20. उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उस निर्णय को पढ़ने से एवं मधुर स्वर से उसे नियमों के संदर्भ में विवेचना किये जाने पर हम पाते हैं कि प्रक्रियाएं साफ सुथरी होनी चाहिए जैसा कि उक्त निर्णय में इसे कभी भी अनदेखा नहीं किया गया है यद्यपि नियमों को आत्मसात किया गया है:– "

(I) लिखित परीक्षा एक सौ पचास अंकों का होगा।

(II) साक्षात्कार एक सौ अंकों का होगा।

(III) अभ्यर्थीयों को लिखित परीक्षा में उतीर्ण होने के लिए योग्यता हेतु कम से कम चालीस प्रतिशत अंक हासिल करना होगा।

(IV) अभ्यर्थी को साक्षात्कार में भाग लेना होगा।

(V) साक्षात्कार में अभ्यर्थी को न्यूनतम अंक सीमा या कुल अंकों के साथ जोड़ आवश्यक रूप से अनिवार्य नहीं होगा।

21. इस तरह, हम इस मत पर है कि चयन समिति के द्वारा इस तरह का आदर्श नहीं अपनाना चाहिए था कि न्यूनतम उतीर्णता अंक साक्षात्कार में या अन्य विशय बस्तु जैसे कि कुल जोड़ को भी उतीर्णता अंक के साथ हो:

"22. इसके अतिरिक्त विद्वान अधिवक्ता आवेदकगण की ओर से, के द्वारा सही रूप से पक्ष रखते हुए कहा गया है कि वे उच्चतम न्यायालय के निर्णय जो कि उमेश चन्द्र शुक्ला बनाम् भारत संघ (3 उपर देखे) और ए0ए0 आलटोन बनाम् शिक्षा निर्देशक, (2 उपर देखे), की उतरवादीयों में से प्रत्येक को विज्ञापन में प्रकाशित विज्ञप्ति और नियमों को अंगीकृत करना चाहिए जबकि विज्ञापन में कहीं भी न्यूनतम निर्धारित अंक साक्षात्कार के संदर्भ में नहीं प्रकाशित की गयी है और इसी तरह कुल जोड़कर अंक लिखित एवं साक्षात्कार परीक्षा को लेकर भी नहीं की गयी है। इस तरह आवेदकगण और उनमें से प्रत्येक विज्ञापन के आलोक में और नियमों के आधार पर क्रियानवयन किये हैं और इस तरह उन्हें यह प्राप्त अधिकार है कि वे विज्ञापन में छटे जो शर्त हैं उनका अनुपालन करें।

23. नियम को इस तरह बदला नहीं जा सकता है और ऐसा करने के लिए वैधानिक तरीके से ही नियम को बदलना होगा। अगर ये इजाजत नहीं देते है तो चयन समिति ऐसा नहीं कर सकती है और उसके द्वारा ऐसा किया जाना संविधान के विरूद्ध है।

24. इससे बढ़कर, मुल अभिलेख को देखने से जो कि हमलोगों के समक्ष उपस्थित कराया गया है, हमलोग पाते हैं कि जिस तरह का आकलन न्यूनतम उतीर्णता अंक को लेकर और सब को साथ जोड़कर और इसी तरह साक्षात्कार परीक्षा में भी इस तरह के नियम के पालन करते हुए इसे कभी भी प्रकाशित नहीं किया गया था। ”

13. इसके पक्ष में उच्च न्यायालय के द्वारा अनेकों निर्णयों को संदर्भित दिखाते हुए दर्शाया गया है।

14. हमलोग यहां तक सतही तौर पर पाते हैं कि उच्च न्यायालय इस हद तक सही है कि नियुक्ति विज्ञापन के अनुसार ही होनी चाहिए। यद्यपि कुछ शर्तो को बदला जा सकता है, लेकिन यह तभी हो सकता है जब इसे विधि द्वारा स्थापित नियम के तहत किया जाय। जहां तक विज्ञापन का प्रशन है उसमें न्यूनतम अंक या साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंक का कोई जिक्र नहीं हैं। उच्च न्यायालय यह इंगित करने में सही है कि नियम–6 नियमन ऐसा कोई प्रावधान नहीं बताते हैं जिसमें की कम से कम उतीर्णता का अंक साक्षात्कार के संदर्भ में अभिलिखित है। इसी तरह यह पाया जाता है कि उतीर्णता कुल जोड़ अंक लिखित परीक्षा में एवं साक्षात्कार, सामान्य वर्ग कोटि के अभ्यर्थीयों के लिए चालीस प्रतिशत एवं पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थीयों के लिए पैतीस प्रतिशत एवं एस 0 टी0 / एस 0 सी सम्वर्ग के लिखित परीक्षा में निर्धारित है। इस प्रकार उतरवादीयों के द्वारा सभी मान्यताओं को पुरा करते हुए लिखित परीक्षा में न्यूनतम उतीर्णता अंक हासिल की गयी है।

15. उपरोक्त परिस्थितियों एवं कारणों के मद्देनजर मात्र एक प्रशन बचता है जिसे देखा जाना चाहिए जो कि अपीलकर्ता के द्वारा अपनाया गया है जो बृजमोहन लाल केस में निर्धारित मापदंड के अनुरूप है या नहीं। अस्थायी न्यायाधीशों की सेवा को नियमित करने से संबंधित जो विधान है वह उपरोक्त निर्णय के पारा–207.9 में निहित है जिसे इस प्रकार पढ़ा जा सकता है।

“207.9 वैसे सभी व्यक्तिगण जिनकी नियुक्ति सीधी भर्ती के रूप में बार से न्यायाधीश के पद पर त्वरित न्यायालय योजना के तहत हुई है वे इसके अधिकारी है कि वे उनकी सेवा को सामान्य सेवा में वरीय न्यायिक सेवा सम्वर्ग के तहत संबंधित राज्यों के द्वारा निम्नलिखित रूप में समाहित किया जायेगाः

ए. सीधी भर्ती के माध्यम से त्वरित न्यायालय को चुनी गयी है उन्हे सामान्य रूप से नियमित सेवा में लिये जाने के लिए संबंधित उच्च न्यायालय के द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी जो उस राज्य के

अन्तर्गत आती हो जो कि उनकी सेवा में बने रहने और उनका अवशोशण करके सामान्य सम्वर्ग में अतिरिक्त जिला जज के रूप में नियुक्त किया जाय।

बी. इसके उपरांत उन्हें चयन समिति के द्वारा प्रायोजित साक्षात्कार में शामिल होना होगा जिसमें कि मुख्य न्यायाधीश एवं इनके अलावें चार अन्य वरीय न्यायाधीशगण संबंधित उच्च न्यायालय के रहेगें।

सी. लिखित परीक्षा के लिए एक सौ पचास अंक एवं साक्षात्कार के लिए एक सौ अंक निर्धारित होगा। चयनित होने के लिए चालीस प्रतिशत अंक कुल मिलाकर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थीयों के लिए एवं पैतीस प्रतिशत एस 0 सी/ एस 0 टी0/ ओ 0 बी0 सी0 अभ्यर्थीयों के लिए होगा। परीक्षा और साक्षात्कार निर्धारित नियमों के अनुसार जो कि राज्य सरकार द्वारा वरीय न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती के संदर्भ में बनायी गयी है उसे लागु किया जाय।

डी. प्रत्येक नियुक्त व्यक्ति को एक अंक उनके द्वारा त्वरित न्यायालय में अपनी सेवा दिये जाने के अनुसार प्रतिवर्श के हिसाब से दी जायेगी जो कि उनके द्वारा साक्षात्कार में अर्जीत अंकों में जोड़े जायेगें।

इ. इसे इंगित करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है कि फिर भी जहां तक परीक्षा और साक्षात्कार को सम्बंधित उच्च न्यायालय के द्वारा लिये जाने का प्रशन है संबंधित उच्च न्यायालय को यह भी ध्यान में रखना होगा कि इन आवेदकों ने कई कई वर्शो तक त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा देश को समर्पित की है जिसमें कि इन्होने न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए और कानुन के मद्देनजर अपना कर्तव्य निभाया है। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार मापांक इस तरह से बनाना चाहिए जैसा कि इस मुकदमें में विचित्र स्थिति एवं परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उनका भी ध्यान रखा जाय।

एफ. ऐसे अभ्यर्थी जो कि लिखित परीक्षा में उतीर्ण किये हैं और उनके द्वारा उपरोक्त के संदर्भ में विचारणीय प्रतिशत अंक प्राप्त की गयी है उन्हें अतिरिक्त जिला जल के पद पर सामान्य सेवा में संबंधित राज्य में बहाल किया जाना चाहिए।

जी. अगर किसी कारणवश सामान्य सम्वर्ग में रिक्तियां उपलब्ध नहीं हो तो ऐसी परिस्थिति में हम संबंधित राज्य सरकार को निर्देशित करते है कि वे अतिरिक्त रिक्तियों के संदर्भ में आवश्यक कदम उठाये जो कि उन लोगों की संख्या के अनुपात में हो जिनको अभ्यर्थी के रूप में चयनित किया गया था।

एच. सभी वर्तमान और/ या सभी निर्वतमान त्वरित न्यायालय के न्यायाधीशगण जिनकी बहाली सीधी भर्ती के रूप में बार से की गयी है और वे अगर इच्छुक है संबंधित परीक्षा एवं साक्षात्कार में सम्मिलित होकर सामान्य सेवा में आने के लिए तो उन्हें उम्रसीमा में भी छुट दी जाय।

किसी भी अभ्यर्थी को इस आधार पर निरस्त नहीं किया जायेगा कि उनकी उम्र प्रस्तावित उम्र से अधिक है।"

16. पारा– सी और एफ को एक साथ पढ़े जाने पर जो उपरोक्त व्यवस्था निर्धारित की गयी है वे स्पश्ट रूप से निम्नलिखित तथ्यों को उदधृित करते हैः

ए 0 लिखित परीक्षा एक सौ पचास अंकों के लिए एवं साक्षात्कार एक सौ अंको के लिए।

बी0 इस तरह का लिखित परीक्षा और साक्षात्कार राज्य सरकार द्वारा वरीय न्यायिक सेवा में सीधी नियुक्ति के लिए बनाये गये नियमों के अनुरूप ही होना चाहिए।

सी0 प्रत्येक अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में उतीर्ण होना आवश्यक है।

डी0 साक्षात्कार के लिए न्युनतम अंक का निर्धारण नहीं होगा हैं।

इ 0 ठीक उसी प्रकार अभ्यर्थीयों के द्वारा उन्हें सब मिलाकर जो प्रतिशत अंक उपर वर्णित किया गया है जिसका मतलब है चालीस प्रतिशत कुल जोड़ एवं पैतींस प्रतिशत एस 0 सी/एस 0 टी0/ओ 0 बी0 सी अभ्यर्थीयों के लिए और इस तरह समेकित प्रतिशत का मतलब चालीस प्रतिशत एवं पैतींस प्रतिशत अभ्यर्थीयों की श्रेणी के अनुसार जो दो सौ पचास अंकों के अन्तर्गत आता है।

17. इस तरह हमलोग इस विचार किये है कि बृजमोहन लाल वाले वाद में साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अंक की निर्धारित सीमा तय नहीं की गयी है। यद्यपि उतीर्णता हेतु जो समेकित अंक हैं वो लिखित एवं साक्षात्कार दोनों के अंकों को मिलाकर दोनों का मिश्रण।

18. इस तरह न्यायालय के द्वारा निर्देशित किया गया है कि परीक्षा एवं साक्षात्कार दोनों विधि के अंतर्गत स्थापित नियमों के अनुरूप होगें जो राज्य सरकार द्वारा बनाये गये है जो वरीय न्यायिक सेवा में सीधी नियुक्ति से संबंधित नियमावली है उसका अनुपालन किया जायेगा इसमें जो आधुनिकीकरण न्यायालय के द्वारा किया गया है उसे भी ध्यान में रखा जायेगा। उदाहरण के लिए इस वाद में जैसा कि नियम–6 जो नियमावली के अंदर है उसमें तीस प्रतिशत उतीर्णता हेतु अंक एस 0 सी0 और एस 0 टी0 सम्वर्ग के अभ्यर्थीयों के लिए लिखित परीक्षा में निर्धारित की गयी है। इस तरह अभ्यर्थीयों के द्वारा यथोचित उतीर्णता अंक लिखित परीक्षा में प्राप्त की गयी है। साथ साथ इन्हें बृजमोहन लाल केस के आलोक में समेकित उतीर्णता हेतु अंक जो कि लिखित एवं साक्षात्कार दोनों को मिलाकर निर्धारित किया गया है वह लागु होगा।

19. उपरोक्त के संदर्भ में जहां तक लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार का प्रशन है न्यूनतम उतीर्णता हेतु अंक जबरन थोपा नहीं जा सकता है जबतक कि ऐसा विधि सम्मत नियमावली उदधृित नहीं हो और इस संदर्भ में उपरोक्त निर्णय में इस आश्य का कोई निर्देश नहीं दिया गया है। हम पाते है कि जहां तक नियमावली

और नियमों का प्रशन है कम से कम उतीर्णता हेतु अंक केवल लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित किया गया है। इस तरह सब मिलाकर इस निर्णय को नियमों के साथ साथ पढ़े जाने पर निम्न बातें निकलकर आती है–

ए. लिखित परीक्षा में न्युनतम उतीर्णता हेतु अंक सभी सम्वर्ग के लिए जैसे कि सामान्य श्रेणी और एस 0 सी/एस 0 टी0/ ओ 0 बी0 सी अभ्यर्थीयों के लिए निर्धारित है।

बी. साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अंक सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। यद्यपि उतीर्णता हेतु अंक लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार को मिलाकर चालीस प्रतिशत सामान्य वर्ग के अभ्यर्थीयों के लिए और पैतीस प्रतिशत एस 0 सी0/एस 0 टी0/ओ 0 बी0 सी0 अभ्यर्थीयों के लिए निर्धारित है।

20. जैसा कि उपर अभिलिखित है सभी उतरवादीयों के द्वारा उतीर्णता हेतु आवश्यक अंक लिखित परीक्षा में हासिल की गयी है साथ साथ इनमें से किसी ने उतीर्णता हेतु सकल प्रतिशत अंक हासिल नहीं किया है। इस बिन्दु पर उच्च न्यायालय के द्वारा प्रकाश नहीं डाला गया है हालांकि इसे छुआ जरूर गया है। केवल इस पर प्रकाश डाला गया है कि साक्षात्कार में उतीर्णता हेतु न्यूनतम अंक निर्धारित हैं।

21. हम सभी, इस तरह इस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं कि उतरवादीयों के द्वारा न्यूनतम निर्धारित अंक इस न्यायालय के निर्णय के आलोक में हासिल नहीं किया गया है। यद्यपि नजदीकी अनवेशण से पता चलता है कि उतरवादीयों के द्वारा प्राप्त अंक खासकर दो अभ्यर्थीयों के द्वारा जिसमें सुनिथा बुसीरेड्डी तथा एस 0 सरद्धा देवी के द्वारा क्रमशः 99.7 एवं 99.3 को कुल अंक एक सौ अंक प्राप्त किया गया। जहां तक सुनिथा बुसीरेड्डी का प्रशन है, तो उनके द्वारा अर्जित अंकों को सामान्य रूप से गोलाकार करने पर इसे सौ अंक ही माना जायेगा। एस 0 सरद्धा देवी के द्वारा प्राप्त अंक केवल इससे 0.7 अंक कम हैं इसलिए कोई कारण नहीं है कि इनके द्वारा अर्जीत अंक को भी 100 के द्वारा गोलाकार नहीं किया जाय। इसतरह विचारण के दौरान यह पाया गया कि ये लोग अस्थायी न्यायाधीश के रूप में वर्शो से सेवा दे रहे थे और इनलोगों के लिए यह केवल अहर्ता परीक्षा उनके सेवा को नियमित करने के लिए ली गयी है। अतः इन दोनों अभ्यर्थीयों/ उतरवादीयों को लिखित परीक्षा में और साक्षात्कार में उतीर्ण पाया जाता है जबकि इनके द्वारा अर्जीत दोनों तरह के अंकों को समायोजित करके जोड़ा जाता है।

22. कोई संदेह नहीं है, कि जो दो अन्य अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा चालीस प्रतिशत/ पैतीस प्रतिशत सकल अंक प्राप्त नहीं किया गया है। इसलिए इस तरह इन्हें उतीर्णता की श्रेणी में इनके द्वारा अर्जित किये गये लिखित एवं साक्षात्कार के अंकों को जोड़ने से ही नहीं हो पा रहा है। यद्यपि हम यह पाते हैं कि इस समय इनलोगों के द्वारा कई वर्शो तक सेवा दी गयी है। इसके अलावे लिखित परीक्षा में इन दोनों के द्वारा चालीस प्रतिशत / पैतीस प्रतिशत का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने में असफल रहे हैं। यहां यह भी उदधृित करना

आवश्यक है कि इसमें से एक अभ्यर्थी अनुसूचित जाति से आता है और नियम के अनुसार जो व्यक्ति एस 0 सी/एस 0 टी सम्वर्ग से है उसे नियमतः न्यूतम उतीर्णता हेतु अंक तीस प्रतिशत लिखित परीक्षा में होना ही अनिवार्य है। ऐसी परिस्थिति में यह यथोचित होगा कि इन्हें एक मौका लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में शामिल होने के लिए दिया जाय। जिसे बृजमोहन लाल केस में जो अवधारणा इस न्यायालय के द्वारा दी गयी है उसके अनुरूप है। यह निर्देश इस आश्य को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है कि उपरोक्त न्यायसंगत रूप से विचार किया जाय। अनुच्छेद 142 संविधान के तहत यह निर्देश जारी किया जाय। उच्च न्यायालय इस तरह के परीक्षा आज से छः माह के अंदर आयोजित करेगी इस अवधि में ये दोनों अभ्यर्थी सेवा में कार्यरत रहेगें।

23. परिणामस्वरूप इन अपीलों को उपरोक्त शर्तो के आधार पर निश्पादित किया जाता है।

खर्च के सम्बंध में कोई आदेश नहीं दिया गया है।

अंकित ज्ञान। अपील निस्तारित किया जाता है।

**अनुवादक**

**संजय कुमार सिंह –1**